

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
पंत भवन, द्वितीय तल, पटना-1

वाहन नीलामी हेतु निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के साथ सम्बद्ध 02 एम्बेस्डर वाहन एक मारुती ओमनी भान की नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 27.12.2022 को पूर्वा० 11:00 बजे की जायेगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने के स्थिति में पुनः दिनांक 30.12.2022 को किया जायेगा।

नीलामी हेतु वाहन कि विवरणी:-

क्र.सं.	वाहन निबंध संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	चेचिस संख्या	इंजन संख्या	अद्यतन कर की स्थिति	मोटर यान निरीक्षण से प्राप्त न्यूनतम मूल्य निर्धारण	वाहन स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BR01AQ 6531	Ambassador Car	2009	MA7AM18MFJU001124	3ELEJ109506	09.07.2022	10,000/-	Pant Bhawan, Parking
2.	BR01AQ 6532	Ambassador Car	2009	MA7AM18MFJU001121	3ELEJ109507	09.07.2024	15,000/-	Pant Bhawan, Parking
2.	BR01AQ 8412	OMNI MPI	2009	MA3EVB11S01120178	F8BIN4128359	16.07.204	15,000/-	Pant Bhawan, Parking

नीलामी हेतु नियम एवं शर्त:-

- उक्त वाहनों की नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर प्राधिकरण कार्यालय, पटना के द्वारा गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।
- नीलामी में भाग लेने इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- उपरोक्त विवरणी के स्तम्भ 8 में अंकित राशि को वाहन का सुरक्षित मूल्य माना गया है। सुरक्षित मूल्य से कम को बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया बारी-बारी से होगी, अर्थात् एक वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दुसरे वाहन की नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी।
- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक-A में अंकित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।
- नीलामी में भाग लेने हेतु वाहन के सुरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। अग्रधन जमा करने की समय सीमा नीलामी हेतु निर्धारित तिथि से 02 (दो) दिन पूर्व तक कार्यालय अवधि में ही जमा लिया जायेगा। एक से अधिक वाहन के लिए बोली लगाने की स्थिति में प्रति वाहन अलग-अलग अग्रधन राशि जमा करना होगा। अग्रधन

- SECRETARY, BSDMA के नाम से बैंक ड्रॉफ्ट जमा करना होगा। असफल बोली वाले व्यक्ति को अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
7. नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को दो दिन के अंदर बोली की राशि एक ही किश्त में बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
 8. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुश्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी। इसके निर्णय हेतु अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
 9. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामीकर्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
 10. सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने के नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन को स्थानांतरित कराना होगा। नीलामीकर्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 11. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सम्पूर्ण वाहन की बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा नीलामी को रद्द करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी में सुरक्षित रहेगा तथा अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
 12. किसी भी व्यक्ति अथवा निविदादाता द्वारा नीलामी के समय नीलामी प्रक्रिया में व्यवधान पहुँचाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
 13. इसकी जानकारी प्राधिकरण के वेबसाइट <http://www.bsdma.org/> पर भी देखा जा सकता है।
 14. कार्य दिवस में वाहनों के अवलोकन के संबंध में अथवा नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी हेतु प्राधिकरण कार्यालय अवधि में सम्पन्न किया जा सकता है।

15. Annexure-A (जमानत की राशि करने का प्रारूप)

(क) बोली लगाने वाले का नाम.....

(ख) पहचान पत्र.....

(ग) बोली लगाने वाले का पता.....

(घ) दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०.....

(च) कितने वाहन का बोली लगाना चाहते हैं.....

जमानत राशि का ब्यौरा:-

क्र०	वाहन का विवरण	वाहन की संख्या	ड्रॉफ्ट संख्या	ड्रॉफ्ट की तिथि
1	2	3	4	5

(मीनम कुमार)
सचिव